तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	<u>निगरानी/टी.ए./2655/2005/भरतपुर</u> **पूरन बनाम किशन व अन्य**	
	<u>एकल–पीठ</u> **श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री अशोक अग्रवाल अभिभाषक प्रार्थी (2) श्री मुकेश जैन अभिभाषक अप्रार्थी **<u>निर्णय</u> <u>दिनांक :</u>** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प डीग के निर्णय दिनांक 132–5–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने उप जिला कलेक्टर डीग के न्यायालय में एकतरफा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14–2–95 को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया जिसे विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई अपने आदेश दिनांक 19–12–03 के द्वारा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रार्थी राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 13–5–2005 के द्वारा अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की गई है। 3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई। 4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी खारिज करने में विधिक भूल की है। पत्रावली के अवलोकन से यह सिद्ध है कि प्रार्थी को सम्मन की तामील विधिवत नहीं हुई है और बिना विधिवत तामील कराये दिनांके 25–2–92 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से तामील मान ली गई। न्याय का यह सर्वमान्यसिद्धान्त है कि दोनों पक्षों को सुनकर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये। इसलिये एकतरफा में पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में 2010आर बी जे पेज 197, 2008 आर बी जे पेज 355,539,2001आर आर डी पेज 262, 2018डी एन जे(3) पेज 313, ए आई आर 1973 एस सी पेज 76 की नजीरें पेश की। 5– जबाब में अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी के परन्तुक में यह	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./2655/2005/भरतपुर</u>** **पूरन बनाम किशन व अन्य**	
	स्पष्ट अंकित किया गया है कि कोई भी न्यायालय एकतरफा निर्णय व डिक्री को सम्मन की तामील में की गई अनियमितता के आधार पर निरस्त नहीं कर सकता है। न्यायालय को केवल मात्र सन्तुष्ट होना है कि प्रतिवादी विपक्षी को तारीख पेशी की सूचना थी और प्रतिवादी विपक्षी के पास पर्याप्त समय था जिसमें प्रार्थीगण वादीगण के वाद का उसके विरूद्ध उपस्थित होकर जबाब दे सकता था। उनका तर्क है कि सम्मन की यथारीति तामील हुई है। तामील कुनिन्दा प्रार्थी के घर पर गया है और तामील कराई है। प्रार्थी ने देरी का भी कोई समुचित कारण नहीं बताया है इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधिसम्मत हैं। निगरानी खारिज की जावे। 6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी बारीकी से अध्ययन किया। 7– विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 25–4–91 को दिनांक 12–6–91 को उपस्थित हाने के लिये सम्म्न जारी करने के आदेश हुये हैं। जिनकी तामील नहीं हुई। फिर दिनांक 27–7–91को नोटिस जारी करने के आदेश हुये हैं जो दिनांक 11–9–91 को उपस्थित होने के लिये हैं। फिर दिनांक 3–12–91 को विधिवत तामील नहीं मानते हुये वादी को एक सप्ताह के अन्दर नोटिस पेश करने के आदेश दिये गये हैं। फिर दिनांक 25–2–92को प्रार्थी प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये हैं। विचारण न्यायालय ने सम्मन दिनांक 12–6–91 के आधार पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। उक्त सम्मन में दो गवाहों की उपस्थिति में सम्मन चस्पा करना बताया गया है। दो गवाहों की अंगूठा निशानी है। इस बाबत तामील कुनिन्दा के सशपथ बयान विचारण न्यायालय द्वारा नहीं लिये गये हैं। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 5 नियम 7 व 20 की विधिवत पालना नहीं की गई है। इन सब तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी को सम्मन की विधिवत तामील नहीं हुई। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी प्रतिवादी भी अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन रहा है। इतने लम्बे अन्तराल तक उसको वादी द्वारा प्रस्तुत वाद की जानकारी नही हुई हो,यह भी माने जाने योग्य नहीं है। पक्षकारान के मध्य वाद अधिनियम की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने RBJ (15) 2008 page 355 (S.C.) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि– <u>RBJ (15) 2008 page 355 (S.C.)</u> **<u>Code of Civil Procedure, 1908- Order 9 Rule 13</u>- Passing of decree without service of proper notice is sufficient ground for setting aside ex-parte decree.** In the absence of a notice, we do not see any justification to pass the ex-parte decree and, therefore, we are of the	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./2655/2005/भरतपुर</u>** **पूरन बनाम किशन व अन्य**	
	clear opinion that both the court below have erred in rejecting the applicatin under order IX Rule 13. In our opinion the non service of the notice was a sufficient reason to set aside the decree against the defendant no.3 (appellant herein). माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने RBJ (15) 2008 page 539 (H.C.) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि– <u>RBJ (15) 2008 page 539 (H.C.)</u> **<u>Code of Civil Procedure, 1908- Order 9 Rule 13-</u> When summons were not served to the defendant- Ex-parte decree was rightly set aside after three years.** In this case, plaintiff-petitioners filed suit for declaration and permanent injunction in respect of disputed land which was decreed ex-parte against defendant. Defendants filed an application for setting aside ex-parte decree on the ground that proper summons were not served on them. Trial Court dismissed the application but RAA accepted the appeal filed by defendant and set aside the ex-parte decree. The Board of Revenue maintained the order of the RAA. The Hon'ble High Court held that in the light of judgments passed by all the three courts below and after considering the same, the judgments passed by the Revenue Appellate Authority as well as Revenue Board are justified in the eyes of law. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने RRD 2001 page 262 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि– <u>RRD 2001 page 262</u> **Code of Civil Procedure, Order 5 rule 17 and Order 9 Rule 13** - Service of summons - No personal service was made on defendants - Process server made report that he had visited the village and defendant has refused to accept the notice and he (process server) pasted the notice on the wall - Ex-parte proceedings and ex-parte decree - Application for setting aside ex-parte decree rejected by trial court - Appeal against - Held trial court should have got the process server produced in the court for examination on oath when defendant was denying the fact that process server had ever visited the village and had made any such report and even had pasted the notice. It is bounded duty of court to see that the party is served in accordance with law before to proceed ex-parte just on receipt of report of process server - Court should see that every provision of O.5 should be completed and accomplished in letter and spirit before ex-parte proceedings are ordered. In this case there is serious doubt about service having been effected on defendant, therefore, ex-parte proceedings, set aside .	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./2655/2005/भरतपुर</u>** **पूरन बनाम किशन व अन्य**	
	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 DNJ (SC) page 313 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि– 2018 DNJ (SC) page 313 Civil Procedure Code, 1908 -O.5, R.20; O.9, R. 12, Sec. 27- Setting aside of ex-parte decree- Application rejected by the Trial Court- Summon served publishing in newspaper- No specific day, date and time given in summons for appearance- Non-compliance of mandatory statutory requirement- No proper service of summons- Held, ex-parte decree is set aside and the trial court is directed to decide the suit on merits. उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी रूपये 5000/–(अक्षरे पांच हजार रूपये)हर्जाने पर स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाते हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है। हर्जाने की राशि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित तारीख पेशी पर अदा करनी होगी। उभय पक्षकारान को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 10–8–2018को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है। प्रकरण काफी पुराना हो चुका है इसलिये विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह जबाब दावा प्राप्त कर पक्षकारों की प्लीडिंग के आधार पर तनकीयात कायम कर पक्षकारों की साक्ष्य लेखबद्ध कर प्रकरण में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत कर प्रकरण का अधिकतम छ माह के अन्दर विधिअनुसार निस्तारण कर देवें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	